

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या :- 476 / 20

वादी का वाद पूर्व न्याय ले भी बाधित
होना सिद्ध है। अतः जारी का या. पत्र
न निष्क ॥ स्वीकार किया जाकर वादी
का वाद वादकारण से ठीक व है
आरिज किया जाता है।

डिली पत्र जारी हो
पतावली केसल शुमार होकर
दफ नम्बर लेकत है।

21
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू जयपुर